

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 70] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 13, 1982/चैत्र 23, 1904
No. 70] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 13, 1982/CHAITRA 23, 1904

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 16-ई.टी.सी. (पी. एम)/82

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1982

विषय :— 1982-83 के बॉराने जाँ और मक्का की निर्यात नीति ।

नियंत्रण सं. 40/16/82 से जारी.—1982-81 (जिल्द-2) के लिए आयात और
निर्यात नीति के पृष्ठ 14 पर की क्रम संख्या 20-क और 20-ख की ओर ध्यान
दिलाया जाता है जिसके अनुसार सीमित उच्चतम सीमा के भीतर जाँ और मक्का

का निर्यात भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सरणीबद्ध है ।

2. इस स्थिति की समीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि सीमित उच्चतम सीमा के भीतर जो और मक्के के निर्यात की अनुमति पहले आय से पहले पाये के आधार पर 1982-83 (जिल्द-2) की आयात और निर्यात नीति के पैरा 14 के प्रावधानों के अनुसार केवल शत प्रतिशत पक्के अपरिवर्तनीय साख पत्र के मद्दे ही दी जाएगी । इन पुण्य वस्तुओं के सम्बन्ध में उच्चतम सीमा संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई के निपटान के अधीन रखी गई है ।

3. यह भी निश्चय किया गया है कि मक्के के निर्यात की अनुमति पंजीकृत सहकारिता समितियों द्वारा भी उनके लिए विशेष रूप से नियत की गई उच्चतम सीमा के मद्दे दी जायेगी ।

4. तदनुसार 1982-83 (जिल्द-2) के लिए आयात निर्यात नीति में नीचे बताये गये के अनुसार निम्नलिखित परिवर्तन किये जाएंगे :—

1. नीति विवरण के पृष्ठ 14 पर की क्रम सं. 20 क और 20 ख के सामने के कॉलम 3 में आई हुई वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

“निर्यात की अनुमति सीमित उच्चतम सीमा के भीतर पहले आय से पहले पाये के आधार पर शत प्रतिशत पक्के अपरिवर्तनीय साख पत्रों के मद्दे दी जायेगी” ।

2. पृष्ठ 32 पर के अनुबन्ध 1 की क्रम सं. 2 और 3 के सामने आई हुई वर्तमान प्रविष्टि को हटा दिया जायेगा ।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE No. 16-ETC(PN)/82

New Delhi, the 13th April, 1982

EXPORT TRADE CONTROL

Subject:—Export policy of Barley and Maize during 1982-83.

F. No. 40/16/82-EII.—Attention is invited to S. No. 20A and 20B at page 14 of Import & Export Policy for 1982-83 (Vol. II) according to which export of Barley and Maize is canalised through State Trading Corporation of India within a limited ceiling

2. On a review of the position, it has been decided that export of Barley and Maize will be allowed within a limited ceiling on first-come, first-served basis against 100 per cent confirmed irrevocable Letters of Credit only in accordance with the provisions of paragraph 14 of Import and Export Policy for 1982-83

(Vol. II). The ceilings in respect of these commodities have been placed at the disposal of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay.

3. It has also been decided that export of Maize will be allowed by the Registered Co-operative Societies against a ceiling specifically ear-marked for them.

4. Accordingly, the following changes shall be made in the Import and Export Policy for 1982-83 (Vol. II) as indicated below :—

- (i) The existing entries appearing in col. 3 against S. Nos. 20A and 20B at page 14 of Policy Statement shall be substituted by the following:—

"Export will be allowed within a limited ceiling on*first-come, first-served basis against 100 per cent confirmed irrevocable Letters of Credit only".

- (ii) The existings entries appearing against S. Nos. 2 and 3 of Annexure I at page*32 shall be deleted.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of
Imports and Exports.

